Stall Holders of Panchkuin Road

1755. Shri Muhammed Elias: Will the Minister of **Rehabilitation and Minority Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the Panchkuian Road eligible Stall Holders' Union, New Delhi;

(b) if so, their demands;

(c) whether Government have considered them; and

(d) if so, the decision taken, if any?

The Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) Their demand is that they should be provided in the market to be constructed on Janpath.

(c) and (d). Their request will be conveyed to the Ministry of Works, Housing and Supply who will construct the market.

Loan to Displaced Persons in Tripura

1756. Shri Dasaratha Deb: Will the Minister of **Rehabilitation and Minority Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of registered Displaced Persons in Tripura who have not yet applied for rehabilitation loan;

(b) whether applications for rehabilitation loan are still entertained by the Tripura Administration; and

(c) if not, the alternative steps taken to rehabilitate these displaced persons?

The Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri Mehr Chand Khanna): (a) About 3,100 families.

(b) No.

(c) It is now more than 12 years since partition and those displaced persons who were really in need of rehabilitation assistance have already applied and been given assistance. It is not possible to continue to entertain applications for rehabilitation loans for an indefinite period.

ट्रकों और बसों के संभरण का कोटा

१७५७. { **श्री माणकभाई अग्रवाल :**
श्री क० मे० मालवीय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रकों और बसों के निर्माताओं को ये आदेश दिये हैं कि वे अपने वितरकों को उनको कोटे १९५६ अथवा १९५७ के उस कोटे के बराबर दें जिसमें अधिक कोटा दिया गया था ;

(ख) १९५९–६० में अब तक टाटा ऑटोमोबाइल्स द्वारा इन्दौर के अपने वितरक को जो कोटा दिया गया ह, क्या वह उस आदेश के अनुसार था ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अप्रैल १९५९ में सरकार ने देश में मोटर गाड़ियां बनाने वालों को ये हिदायतें भेजी थीं कि वे विभिन्न राज्यों को मोटे तौर पर उसी अनुपात में माल दें जो अनुपात १९५६ या १९५७ मे, इनमें से जिसमें अधिक हो, वर्तमान था ।

(ख) मै० टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कं० लि०, बम्बई ने इन्दौर के विक्रेताओं को जो माल दिया, इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । लेकिन यह विश्वास करने के लिये उस के पास कोई कारण नहीं है कि उसकी हिदायतों का पालन देश के मोटर गाड़ी निर्माता नहीं कर रहे हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।